

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -261/2023

अनवान :

रशाद मोहम्मद पुत्र अब्बास मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रमजान मोहम्मद पुत्र अब्बास मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. इकबाल मोहम्मद पुत्र अब्बास मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. इस्माईल पुत्र अब्बास मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. फीजो बीबी पुत्री अब्बास मोहम्मद पत्नी युनस मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रजिया बीबी पुत्री अब्बास मोहम्मद पत्नी फलक शेरार जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत :-वादी

2 अधिवक्ता श्री रियासत अली :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 29/11/24


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत व रियासत अली वकील प्रतिवादीगण के अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 1 एम.के.एस बी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 12/11 में अंकित कुल 4.554 है० नहरी मय गै०मु० आराजी का वादी रशाद मोहम्मद पुत्र अब्बास मोहम्मद को व चकनं० 1 एम.के.एस ए के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 7/7 में कुल 1.480 है० नहरी मय गै०मु० खाला आराजी का प्रतिवादी सं० 1 रमजान मोहम्मद को खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर चकनं० 1 एम.के.एस बी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 12/11 में से आवास मोहम्मद का नाम व चकनं० 1 एम.के.एस ए के जमाबन्दी संवत 2075 ता

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

78 के खाता सं० 7/7 में शे अब्बास मोहम्मद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी साक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/27 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपस्थंड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी